सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 29, बुधवार, *शाके* 1946-जून 19, 2024 *Jyaistha 29, Wednesday , Saka 1946- June 19, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

बाल अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर अप्रैल 03, 2024

संख्या एफ.20(9)(1)**बाअवि/किन्याअ/नवीन बाकस-किन्याबो स्था/नवीन जिले**/2024-01725/38298 **:-**किशोर न्याय **(**बालकों की देखरेख और संरक्षण**)** अधिनियम**, 2015** की धारा **27** के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जॉच एवं निपटान हेतु नव गठित निम्न जिलों में बाल कल्याण समिति के गठन होने तक इनके सम्मुख अंकित बाल कल्याण समिति के कार्यक्षेत्र के साथ सहसम्बद्ध किया जाता है**-**

क्र.स.ं	नव सृजित जिले का नाम	बाल कल्याण समिति का नाम
1.	ब्यावर	बाल कल्याण समिति, अजमेर
2.	कोटपुतली-बहरोड़	बाल कल्याण समिति, अलवर
3.	खैरथल-तिजारा	
4.	डीग	बाल कल्याण समिति, भरतपुर
5.	शाहपुरा	बाल कल्याण समिति, भीलवाड़ा
6.	बालोतरा	बाल कल्याण समिति, बाड़मेर
7.	जयपुर ग्रामीण	बाल कल्याण समिति, जयपुर
8.	दूदू	
9.	जोधपुर ग्रामीण	बाल कल्याण समिति, जोधपुर
10.	फलौदी	
11.	डीडवाना-कुचामन	बाल कल्याण समिति, नागौर
12.	गंगापुर सिटी	बाल कल्याण समिति, सवाई माधोपुर
13.	नीम का थाना	बाल कल्याण समिति, सीकर
14.	सांचौर	बाल कल्याण समिति, सिरोही
15.	अनूपगढ़	बाल कल्याण समिति, श्रीगंगानगर
16.	केकड़ी	बाल कल्याण समिति, टोंक

17.	सलूंबर	बाल कल्याण समिति, उदयपुर

उक्त नव गठित जिलों के सीमाक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जॉच एवं निपटान हेतु सहसम्बद्ध बाल कल्याण समिति का क्षेत्राधिकार होगा।
यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से

पूनम,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।